बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।
संकल्प

पटना-15, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 ई.

विषय :- राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्ता/सुविधाओं की अधिसीमा के संबंध में ।

शेट्टी आयोग की अनुशंसा एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 7/एम0-1-402/2000खंड-II-6234 दिनांक 30.06.2006 द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों/सुविधा देने की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त संकल्प की कंडिका-5 में यह उल्लेख है कि जिन सुविधाओं/भत्तों की निकासी के संबंध में कोई शीर्ष अथवा प्रक्रिया निर्धारित नहीं है उसके बारे में वित्त विभाग के परामर्श से अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त संकल्प की कंडिका-3 में विभिन्न सुविधाओं/भत्तों की अधिसीमा अलग से निर्धारित किये जाने का उल्लेख है ।

वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

1. बिजली एवं पानी शुल्क :- राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा उनके आवास के लिए विद्युत एवं पानी शुल्क के रूप में किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत अथवा रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह जो कम हो की प्रतिपूर्त्ति वास्तविक भुगतान के पश्चात् की जाएगी । इस राशि की निकासी विद्युत उपभोग के लिए प्राथमिक इकाई ''विद्युत प्रभार'' मद से तथा पानी शुल्क के लिए प्राथमिक इकाई ''किराया महसूल एवं कर'' मद से की जाएगी ।

2. समाचार पत्र भत्ता :- राज्य न्यायिक सेवा के सभी पदाधिकारियों को दो समाचार पत्र एवं एक पत्रिका को क्रय करने के लिए अधिकतम रु. 250/- (दो सौ पचास) मात्र या इस पर किया गया वास्तविक व्यय जो कम हो की प्रतिपूर्त्ति वास्तविक व्यय के उपरांत की जाएगी । उक्त राशि की प्रतिपूर्त्ति कार्यालय व्यय मद से होगी ।

3. एल.टी.सी./एच.टी.सी. :- राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ऑल इण्डिया (लीव ट्रेवेल कन्सेशन) रूल्स 1975 के सभी प्रावधान एल.टी.सी./एच.टी.सी. सुविधा के उपभोग के लिए लागू होंगे । इस पर हुए व्यय की प्रतिपूर्त्ति जिस उप शीर्ष से वेतन की निकासी होती है, उसी उप शीर्ष के एल.टी.सी. प्राथमिक

इकाई मद से होगी । यह सुविधा वर्ष 2006 से प्रभावी होगी ।

4. स्थानांतरण अनुदान :- राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को 20 कि. मी. से अधिक की दूरी पर स्थानांतरण होने पर एक माह के मूल वेतन के बराबर राशि का एक मुश्त भुगतान स्थानांतरण अनुदान के रूप में दिया जायेगा । 20 कि.मी. से कम दूरी पर ऐसे स्थानांतरण जिसमें निवास स्थान वास्तव में परिवर्तित हो, की दशा में मूल वेतन का एक तिहाई राशि एकमुश्त स्थानांतरण अनुदान के रूप में दिया जायेगा ।

यह लाभ दिनांक 30.06.2006 से प्रभावी होगा ।

5. दूरभाष की सुविधा :- प्रत्येक न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को आवास एवं कार्यालय में राज्य सरकार के व्यय पर दूरभाष सुविधा दी जायेगी । कार्यालय में सभी दूरभाष एस.टी.डी. सुविधा युक्त होंगे, परन्तु आवास पर एस.टी.डी. की सुविधा मात्र उच्च न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारियों को ही अनुमान्य होगी ।

निःशुल्क काल की सुविधा निम्नलिखित अधिसीमा के अंतर्गत दी जाएगी :-

अधिकारियों की श्रेणी	दो माह के लिए निःशुल्क काल की सीमा	
	कार्यालय	आवास
1	2	3
1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश	3000	2000
2. अतिरिक्त एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश	2000	1000
3. असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)	2000	1000
4. असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)	1500	750

यह सुविधा दिनांक 01.07.2006 से प्रभावी होगी एवं इसका व्यय पूर्व की भांति दूरभाष शीर्ष से किया जायेगा ।

6. स्वागत भत्ता :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रु. 1000/- (एक हजार मात्र) प्रतिमाह, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि को रु. 750/- (रु. सात सौ पचास) प्रतिमाह एवं असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह की अधिसीमा के तहत स्वागत भत्ता के रूप में वास्तविक व्यय के आधार पर राशि का भुगतान किया जाएगा । इस राशि की निकासी "आतिथ्य व्यय" प्राथमिक इकाई से की जाएगी ।

2. इस संबंध में पूर्व के निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधरण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्षों/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय ।

बिहार राज्य के आदेश से,

14/9/06

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-7/एम.1-1-402/2000(खंड-II)का 9188 /पटना-15,दिनांक 14 सितम्बर, 06

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भी यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

14/9/06

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-7/एम.1-1-402/2000(खंड-II)का 9188 /पटना-15, दिनांक 14 सितम्बर, 06

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/9/06

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-7/एम.1-1-402/2000(खंड-II)का 9188 /पटना-15, दिनांक 14 सितम्बर, 06

प्रतिलिपि :- सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/9/06

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-7/एम.1-1-402/2000(खंड-II)का 9188 /पटना-15, दिनांक 14 सितम्बर, 06

प्रतिलिपि :- श्री गोपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता, 20-A लायर्स चेम्बर उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि सिविल रिट पीटिशन संख्या 1022/89 ऑल इण्डिया जजेज एसोशिएशन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य मामले में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

14/9/06

सरकार के अपर सचिव ।